फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

श्रीमती कमला देवी बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन्य जीव नाहरगढ

केस संख्या 26/2021 (अपील, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
12.08.2021	अधिवक्ता अपीलार्थी श्री जीतेन्द्र कुमार पारीक उपस्थित है। अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर सुना गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील सहायक वन संरक्षक वन्य जीव नाहरगढ जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 2/2016 ब उनवानी क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव नाहरगढ बनाम कमला देवी में पारित आदेश दिनांक 26.07.2021 के विरूद्व यह अपील पेश की गई है। चूंकि सहायक वन संरक्षक वन्य जीव नाहरगढ जयपुर द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 34 (ए) के तहत कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है। जिसके विरूद्व इसी अधिनियम की धारा 46 (ख) में अपील किये जाने का प्रावधान है। धारा 46 (ख) इस प्रकार है– " यदि आदेश मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा किया गया है तो राज्य सरकार को, होगी। " इस प्रकार प्रस्तुत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं होकर राज्य सरकार का है। अतः सक्षम न्यायालय में अपील पेश किये जाने हेतु अपील अपीलार्थी को लौटाई जाती है। 12/8/21 (अन्तर सिंह नेहरा) जिला कलक्टर जयपुर	मूल पत्रावली [illegible] 13/8/21